SALE OF GOODS ACT, 1930

Definitions

Introduction

प्रारम्भ में माल-विक्रय की संविदा से सम्बन्धित प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम के अध्याय-VII की Ss. 76 से 123 में दिये गये थे। 1930 में उपरोक्त प्रावधानो को भारतीय संविदा अधिनियम, 1972 से निरसित करके 1930 में माल विक्रय अधिनियम, 1930 अधिनियमित किया गया जो 1 जुलाई 1930 से लागू हुआ। 1930 में इसका नाम-भारतीय माल विक्रय अधिनियम 1930 था लेकिन 22 सितम्बर 1963 को भारतीय शब्द हटाकर इसका नाम माल-विक्रय अधिनियम, 1930 कर दिया गया। इस अधिनियम में I.C.A, 1972 के सारे प्रावधान जो माल विक्रय की संविदा से सम्बन्धित थे सभी को रखा गया है। माल विक्रय की संविदा में दो पक्षकार क्रेता तथा विक्रेता होते हैं कोई व्यक्ति स्वयं को अपना माल विक्रय नहीं कर सकता है। इसको S.O.G, 1930 की Sec-4 में परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार माल-विक्रय संविदा ऐसी संविदा है जिसके द्वारा विक्रेता माल में की सम्पत्ति क्रेता को कीमत पर अन्तरित करता है या अन्तरित करने का करार करता है। जो माल को क्रय करता है या क्रय करने का करार करता है उसे क्रेता कहते हैं और जो माल का विक्रय

करता है या विक्रय करने का करार करता है वह विक्रेता कहलाता है। विक्रय की संविदा पूर्ण या सशर्त हो सकती है। माल का अन्तरण संविदा की शर्तों के अनुसार तुरन्त भी किया जा सकता है और भविष्य में भी किया जा सकता है। संविदा सदैव क्रेता और विक्रेता के मध्य होगी जो कि माल के विक्रय के लिए होगी और सम्पत्ति के स्वामित्व के अन्तरण के लिए या अन्तरण के करार के लिए होगी। साथ ही सम्पत्ति के स्वामित्व का अन्तरण या उसका करार कीमत के बदले होगा। माल-विक्रय की संविदा में विभिन्न शब्दो माल, विशिष्ट माल, अभिनिश्चित माल, भावी माल, क्रेता, माल के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज, विक्रेता, व्यापारिक अभिकर्ता, मूल्य आदि का प्रयोग किया गया जिनके अर्थ को समझना आवश्यक है।

Definitions:- निम्नलिखित शब्दो के अर्थ को समझने के लिए उनकी परिभाषाएँ निम्न लिखित है।—

1 Goods (माल) - माल को S.O.G, 1930 की धारा 2(7) में परिभाषित किया गया है- माल से अभिप्रेत है, वाद योग्य दावो (Actionable Claims) तथा धन (मुद्रा) को छोड़कर प्रत्येक प्रकार की चल सम्पत्ति, सरकारी स्टॉक तथा शेयर, खड़ी हुई फसलें, घास, और भूमि में संलग्न या उसकी भाग बनी

हुई चीजें, जिन्हे विक्रय से पूर्व या विक्रय की संविदा के अन्तर्गत हटा लिया जाना करार पा चुका हो सम्मिलित है।

इस प्रकार हमारा माल से अभिप्राय केवल करैंसी नोटों को छोड़कर समस्त चल सम्पत्ति से है जिसमें अंश, प्रमाणपत्र तथा डिक्री भी शामिल है। इसमें बढ़ती फसलें, घास और खेत से लगी हुई चीजें या खेत भूमि का भाग से होने वाली चीजें भी सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए एक आम के पेड़ पर आम लगे हैं, इस पेड़ और आम को तब तक माल नहीं कहा जा सकता जब तक या तो उसे जमीन से अलग न कर दिया जाय या अलग करने की संविदा न हो।

माल के अन्तर्गत मुद्रा तथा वाद योग्य दावे को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि वैध मुद्रा तो खुद ही माल खरीदने का साधन है। मुद्रा के द्वारा किसी माल की कीमत चुकाई जाती है। इसीलिए मुद्रा खरीदी या बेची नहीं जा सकती है।

2. विशिष्ट माल (Specific goods)— विशिष्ट माल को S.O.G Act की धारा 2(14) में परिभाषित किया गया है- विशिष्ट माल से तात्पर्य उस माल से है जो बिक्री की संविदा किए जाने के समय पहचान किया गया हो, जो कि अभिनिश्चित माल से भिन्न हो। इस प्रकार विशिष्ट माल वह होता है जिसकी पहचान संविदा करते समय कर ली जाती है

Example— 'A' 2000 रुपये में 'B' से एक घोड़ा जो कि काले रंग का है खरीदने की संविदा करता है तो यह घोड़ा एक विशिष्ट माल होगा। अतः 'B' को 2000 रुपये के बदले में 'A' को

वही काला घोड़ा देना होगा जिसके के लिए संविदा की गई है।

3. अभिनिश्चित माल (Ascertained Goods) —

अभिनिश्चित माल वह माल होता है जो बिक्री के समय दिखानी योग्य बना दिया गया हो और संविदा के लिये जिसका बिना किसी शर्त के विनियोग (Appropriation) हुआ हो और क्रेता या उसके एजेन्ट ने उस विनियोग पर अपनी स्वीकृति दे दी हो या उसे विनियोग की सूचना मिल गई हो। अत: अभिनिश्चित माल का आशय ऐसे मालों से हो सकता है जो संविदा किए जाने पूर्व निश्चित किये जा चुके हो जबकि संविदा अभिनिश्चित माल के लिए की जाती है। विक्रेता अपनी संविदा को उस माल की आपूर्ति करके पूरी करता है जिसके लिए संविदा की गई है।

Example-1 - 'A' अपने स्टॉक में से 100 मन चना 'B' के हाथ बेचने का करार करता है तो यह संविदा अनिश्चित माल के लिए होगी। परन्तु 'A' जब अपने माल में से 100 मन चना निकाल कर अलग कर लेता है और 'B' उसे खरीदने की स्वीकृति प्रदान कर देता है तब यह अभिनिश्चित माल के विक्रय की संविदा कहलायेगी।

Example-2 - 'A' एक ठेले पर रखे सेबों में से 2 Kg सेब चुनकर अलग कर लेता है और 'B' से उनको खरीदने की प्रस्थापना करता है जिसे 'B' स्वीकार कर लेता है तो यह अभिनिश्चित माल के विक्रय की संविदा होगी।

4. भावी माल (Future Goods) — According to Sec. 2(6) S.O.G.A.

भावी माल से तात्पर्य वह माल है जिसे विक्रय की संविदा करने के पश्चात् विक्रेता को विनिर्मित या उत्पादित या अर्जित करना है। अर्थात भावी माल

से तात्पर्य है विक्रय के अनुबन्ध के करने के पश्चात् विक्रेता द्वारा निर्मित या उत्पन्न या अवाप्त (Acquire) किया जाने वाला माल।

Behnke V. Beed Shiping Comp. के वाद में भावी माल के बारे में न्यायालय ने अवधारित किया कि यह माल विक्रेता द्वारा क्रय (खरीद) या अन्य साधनों से अवाप्त (अर्जित) किये जाते हैं। भावी माल वह माल नहीं होते हैं जो अनिश्चित माल होते हैं। जहाँ कि एक तेल सौदागर अपने कब्जे के तिलहनों को पेरकर निकाले जाने वाले तेल को बेचने के लिए करार करता है, तो ऐसी संविदा भावी माल बेचने की संविदा होती है। 'माल' शब्द में एक पोत भी शामिल है।